राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1506

06 दिसम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

आर आई एन एल में आग की दुर्घटना

1506 डॉ. टी. एन. सीमा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशाखापतनम स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के संयंत्र में हाल में हुई आग की दुर्घटना के पश्चात सभी सरकारी क्षेत्र इस्पात संयंत्रों का सुरक्षा संबंधी परीक्षण(सेफ्टी ऑडिट) का आदेश दिया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(ग) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान हुई इस तरह की घटनाओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान इस तरह की घटनाओं में कितने कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई और कितने कर्मचारी घायल हुए: और

(ड.) भवष्यि में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(क) और (ख): जी, हां। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में दिनांक 13 जून, 2012 को आग लगने की दुर्घटना के बाद फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स (एफएएसएलआई), चेन्नई के अंतर्गत निदेशक (सुरक्षा), रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और सिफारिशें कार्यान्वयनाधीन हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को भी बचाव के सभी उपाय करने और प्रोएक्टिव कार्रवाई करने और अपने सभी इस्पात संयंत्रों में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बाहरी स्वतंत्र निकाय/परिषद द्वारा सुरक्षा ऑडिट करवाने की सलाह दी गई है। सेल के चल रहे संयंत्रों के लिए सुरक्षा ऑडिट का कार्य वार्षिक आधार पर नेशनल सेफ्टी काउंसिल कर रही थी।

(ग) और (घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में वर्ष 2011 के दौरान 8 घातक दुर्घटनाएं और 46 सूचना योग्य दुर्घटनाएं तथा वर्ष 2012 में 5 घातक तथा 28 सूचना योग्य दुर्घटनाएं घटित हुई। जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) संयंत्र और इसकी खानों में वर्ष 2011 में 21 घातक और 86 सूचना योग्य दुर्घटनाएं तथा 2012 में 24 घातक और 69 सूचना योग्य दुर्घटनाएं घटित हुईं।

(ड.) भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस.आर. जैन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस्पात मंत्रालय ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के जोखिम को न्यूनतम करने के मद्देनजर देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों को इस समिति के निष्कर्षों के विषय में बताया है। जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति इस्पात मंत्रालय की वैबसाइट पर भी डाली गई है।

****